



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022026-270331
CG-DL-E-19022026-270331

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]
No. 114]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2026

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

फा. सं. 13- सीए (परीक्षा)/जनवरी/2026:IV.—संस्थान की अधिसूचना संख्या 13- सीए (परीक्षा)/जनवरी/2026 दिनांक 29 सितंबर 2025 के क्रम में, सामान्य जानकारी के लिए यह अधिसूचित किया जाता है कि फाइनल परीक्षा का ग्रुप - II, पेपर - 6, इंटीग्रेटेड विजनेस सॉल्यूशन्स (आई बी एस), जो 16 जनवरी, 2026 को हुआ था, श्री वेदांत चौधरी, रोल नंबर 418117, रजिस्ट्रेशन नंबर CRO 0682251 के लिए रद्द कर दिया गया है। यह परीक्षा अब 19 फरवरी 2026 (गुरुवार) को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे (भारतीय मानक समय) तक दोबारा होगी। परीक्षा का स्थान भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आईसीएआई भवन, ए - 29, सेक्टर 62, नोएडा - 201309, ज़िला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश (भारत) होगा।

उन्हें पहले से जारी किया गया प्रवेश पत्र मान्य रहेगा।

सीए (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./689/2025-26]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up by an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th February, 2026

(Chartered Accountants)

F. No. 13-CA (EXAM)/J/2026/IV.—In continuation to the Institute's Notification No. 13-CA(EXAM)/JANUARY/2026 dated 29th September 2025, it is notified for general information that Group – II, Paper – 6, Integrated Business Solutions (IBS) of Final Examination, which was held on January 16th, 2026, in respect of Shri Vedant Chaudhari, Roll NO. 418117, Regn. No. CRO 0682251 stands cancelled. The said examination will now be held again on 19th February 2026 (Thursday) from 2 PM to 6 PM (IST). The venue of the examination will be The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, A - 29, Sector 62, Noida – 201309, District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh (India).

Admit Card already issued to him shall remain valid.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./689/2025-26]